the Lt. Governor of Delhi and the Zonal Assistant Commissioner of MCD, Shahdara, Delhi 110032 are eithe being suppressed at the lower levels or no action is being taken thereon;

(b) if so, what are the reasons therefor and what is he number of complaints received by the highest authorities of the concerned departments during the last three years;

(c) whether Government propose to take any action or provide some solution for the benefit of the said locality, so that the citizens living there may be saved from malaria and dirt in the near future; and

(d) if so, what are the deta ils thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत का स्रोत

3304. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन दिनों दूरदर्शन पर दिखाये जा रहे दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" की कहानी, घटना क्रम और संवाद महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत काव्य पर आधारित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दूरदर्शन पर दिखाये जा रहे धारावाहिक "महाभारत" और महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित "महाभारत" महाकाव्य में वास्तव में कोई भिन्नता नहीं है ; और

(ग) यदि ऊपर उल्लिखित भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" के घटना क्रम, कहानी और संवाद आदि का स्रोत क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ग) धारावाहिक "महाभारत" महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत पर आधारित है ।

(ख) किसी महाकाव्य के चित्रण या उसके प्रस्तुतीकरण में निर्माता/निदेशक की सृजनात्मक प्रतिभा अवश्य प्रतिबिम्बित होती है । धारावाहिक "महाभारत" के निर्माण में इस महाकाव्य के पात्र भाषानुवाद को ही नहीं बल्कि मूल आख्यानक के समुचित संकलन और निष्ठता में कोई परिवर्तन किए बिना वर्तमान काल के सामान्य दर्शकों के लिए इसकी अस्वीकृति की अपेक्षा की जाती है।

सामूहिक आवास समितियों के लिए भूमि का आबंटन

3305. **श्री राम जेठमलानी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लगभग 1300 सामूहिक समितियां भूमि के आबंटन हेतु पंजीकृत हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सोसाइटियों को क्रमवार भूमि का आबंटन करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सोसाइटियों को भूमि का आबंटन करने के लिए इनके लिए क्या क्रम (सीरियल) निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । 1983 से पंजीकृत 1292 समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि आबंटन के लिए सहकारी समितियां के पंजीयक, दिल्ली प्रशासन द्वारा नामित किया गया है ।